

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 1108/2025

Warisha D/o Shri Tahir Khan,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Poonia, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

20/08/2025

कार्यालय आपत्ति संख्या-1 व 2 दूर करने के सम्बन्ध में याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

रिट याचिका के आधारों में आक्षेप संख्या-2 के सम्बन्ध में अभिकथन होने तथा थानाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को भेजे गए प्रतिवेदन की प्रति तथा डाक रसीद/प्रति संलग्न होने के कारण कार्यालय द्वारा इंगित दोनों आक्षेप दूर किए जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि इस प्रकरण में याची क्रम-1 वरिषा विवाहित महिला है, जो अयाची संख्या-6 से अपने पूर्व विवाह के विघटित हुए बिना अविवाहित याची क्रम-2 वाहिद खान के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही है तथा इस प्रकार के मामलों में सुरक्षा मुहैया करवाने के बिन्दु को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने प्रकरण एकलपीठ दाण्डिक याचिका संख्या 2183/2024 में वृहद पीठ को रैफर किया है।

प्रकरण छः सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J